

सुरक्षा सेवाओं में नियुक्तियों

*402. श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने सुरक्षा सेवाओं में जनसंख्या के औसत के आधार पर नौकरियों में नियुक्ति न करने का सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार किया है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश भी जारी किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) सदन के फटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

पंजाब के मुख्य मंत्री ने 15.6.98 के अपने पत्र में यह अनुरोध किया कि सशस्त्र सेनाओं में जनसंख्या के आधार पर मौजूदा भर्ती नीति का पुनरीक्षण किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को उनकी अर्हता और योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के अवसर मिल सकें।

सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसरों का चयन अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार, नौसेना और वायुसेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती भी अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर की जाती है। तथापि, सेना में अन्य रैंकों की भर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित कोटे में से उनकी भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर की जाती है।

भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर सेना में की गई भर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में माकूल तथा न्यायसंगत साबित हुई है तथा इससे विस्तृत आधार वाली एवं मिश्रित सेना की राष्ट्रीय आकांक्षा भी पूरी हो पाई है। इस तथ्य के मद्देनजर, सेना में मौजूदा भर्ती नीति में

सभा में यह प्रश्न श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा द्वारा पूछा गया।

किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री सुख देव सिंह ढिंडसा: ऑनरेबल चेयरमैन सर, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि —

“Selection of officers in the Army, Navy and Air Force is made on the basis of All India merit. Similarly, recruitment of Personnel Below Officer Rank in Navy and Air Force is also made on All India merit basis.”

But recruitment below the rank of officer in the Army is not made on merit basis.

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह फैसला कब हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे? जहां तक मुझे नॉलेज है पंजाब के मुख्य मंत्री से इनकी बात हुई थी। इन्होंने यह भी यकीन दिलाया था कि हम उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस पर दोबारा विचार करेंगे?

श्री जार्ज फर्नांडीज: अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने हमारे उत्तर को बढ़कर कुछ गलत समझा है। इन्होंने जो वाक्या पढ़कर सुनाए:

“Selection of officers”—the emphasis is on officers—“in the Army, Navy and Air Force is made on the basis of All India merit. Similarly, recruitment of Personnel Below Officer Rank in Navy and Air Force is also made on All India merit basis.”

However, recruitment of other ranks, other than officers, in the Navy and Air Force is also made on All India merit basis.

उसका कारण यह है कि नेवी एयरफोर्स में आफिसर्स के अलावा भर्ती होती है वे आमतौर पर किसी न किसी टेक्नीकल काम में लगे रहते हैं। आगे जो बात है वह यह है कि:

“However, recruitment of other ranks”—in other words, soldiers—“in the Army is based on quota allotted to States/UTs on the basis of their Recruitable Male Population.”

सेना में जो जवानों की भर्ती होती है वह भर्ती आल इंडिया के स्तर पर नहीं होती है, हर प्रदेश में आबादी के आधार पर होती है। उसमें आबादी की जो मात्रा लगाई जाती है 16 और 25 साल के बीच की आबादी, हर

प्रदेश में जो आबादी है समूचे देश की आबादी की मात्रा में, इस रेशयो के आधार पर। जो रिक्लूटमेंट में पापुलेशन कहा जा रहा है वह 16 और 25 साल के बीच की आबादी की जो मात्रा है उस आधार पर होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सेना में भर्ती करते हुए कोई मैरिट नहीं है, सेना में भर्ती करने के लिए कुछ कर्तौटियाँ हैं, कुछ पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ शारीरिक ताकत होनी चाहिए और कुछ सोच होनी चाहिए। इन सारी चीजों का टेस्ट करके मेरिट पर लोगों की भर्ती होती है। मगर फर्क इतना ही है कि आर्मी और नेवी में, उस लेवल पर भी आल इंडिया भर्ती करने में और सेना में भर्ती करने में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। अब रहा सवाल मुख्य मंत्री द्वारा हमें भेजे गए पत्र का, मुख्य मंत्री श्री बादल साहब हमसे मिले थे और 17 जून को उन्होंने हमें पत्र भी दिया था। दो दिन पहले हमारी उनसे जो बातचीत हुई थी उस संदर्भ में वह पत्र लिखा था। पत्र का एक दो वाक्य मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ इस पत्र में हैं। मेरा ख्याल है कि सदस्यों के मन में भी हो सकती है:

“Prior to the partition of the country, the representation in the armed forces from Punjab was more than 25%. Consequent upon the formulation of a new recruitment policy in late sixties on the basis of All India recruitment based on the population criterion, the representation from Punjab has come down to about two per cent”.

यह उनका अपना कहना है। महोदय, यह बात सही नहीं है और सही इस मायने में नहीं है कि रिक्लूटमेंट में, नीतियों में जो बदलाव आया था वह बदलाव 1972 में आया था। 1972 में यह तय हुआ था कि कुल आर्मी फोर्स में जो भर्ती होनी है उसमें यह प्रयास होना चाहिए कि समूचे देश से लोगों की सेना में जाने का मौका मिल जाए, तो फिर आधार क्या रखें। आधार वही कि मेन रिक्लूटमेंट करने लायक जो आबादी है 16 और 25 साल की उम्र के बीच की, यह आबादी कितनी है,....

वह देखा जाए और उस परसेंटेज के आधार पर सेना में भर्ती हो जाए। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि पंजाब में भर्ती कम हो गई और पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि अबाउट टू परसेंट। यह बात सही नहीं है। पंजाब में जो भर्ती हो रही है वह देश में आबादी की अगर मात्रा का हम हिसाब लगाएं तो उससे कई गुना अधिक है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ

और माननीय सदस्य का समाधान होना चाहिये। उदाहरण यह देना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी यहां 1992-93 से ले कर 1996-97 का ब्यौरा है। हर प्रदेश से कितने लोगों की भर्ती हुई हर साल में वह इस प्रकार है। 1992-93 में सब से अधिक हो गई उत्तर प्रदेश की, उसके बाद उस साल में दो नम्बर पर रहा महाराष्ट्र और तीन नम्बर पर पंजाब रहा। अगर आबादी के लिहाज़ से देखें तो भी पंजाब में जितने लोग रिक्लूटमेंट के लिए क्वालीफाई करने वाले हैं उनकी आबादी के मुताबिक केवल 2.4 हैं लेकिन आबादी का हिसाब नहीं पकड़ा गया। पंजाब से काफी अधिक लोग भर्ती हो गये और देश में कुल जो भर्ती हुई उसमें तीन नम्बर का स्थान पंजाब का रहा। अगर उसकी प्रतिशत की मात्रा भी देखनी है तो मेरे ख्याल से 1992-93 में यह 8.22 प्रतिशत रही। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 प्रतिशत तो यह 8.22 प्रतिशत रही फिर सभापति जी, 1993-94 में उत्तर प्रदेश सब से अधिक, दो नम्बर पर पंजाब रहा। 1994-95 में उत्तर प्रदेश सब से अधिक, दो नम्बर पर पंजाब रहा। 1995-96 में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर, राजस्थान दो नम्बर पर और पंजाब तीन नम्बर पर। इसलिए कुछ गलतफहमी है कि पंजाब से लोगों की सेना में भर्ती में कमी हुई है। वह कम नहीं हुई। जो नयी रिक्लूटमेंट पापुलेशन को देख कर तय की है, इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है जिन प्रदेशों से जितनी भर्ती होनी चाहिये अगर वह नहीं होती और ऐसे प्रदेश जहां से जितने नौजवान आने चाहिये वह नहीं आ रहे हैं तो जो कोटा बच जाता है, वह अन्य सूबों में चला जाता है। इनमें से पंजाब का हिस्सा सब से ज्यादा है।

श्री सुखदेव सिंह बिंडसा: सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब में यह माना है कि जो पहले 25 प्रतिशत थी, वह अब 8 प्रतिशत हो गई है। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि पंजाब के हालात इतने बिगड़ गए थे, उसका एक कारण यह भी था कि जो नौजवान आर्मी और दूसरी फोर्सिज़ में जाते थे, उनकी भर्ती कम हो गई, वह अनइम्प्लायड हो गये और उन्होंने हथियार उठा लिये क्योंकि कोई काम नहीं था। इसलिए पंजाब में अब भी यह कहते हैं कि कई सूबे ऐसे हैं जहां से कोई भर्ती होने नहीं आते हैं तो फिर दूसरे सूबों में बांट देते हैं। यह मेरिट पर कर लें और अगर मेरिट पर पंजाब का कोई नहीं आता तो हमें क्या एतराज़ है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि दोबारा रिविज़ीड करेगे। हो सके तो मेरिट पर करें तो पंजाब की हालात भी ठीक होंगे, अनइम्प्लायमेंट इतनी ज्यादा है, वह भी शायद ठीक हो जाएगी।

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति महोदय, मैं फिर यह कहूँगा कि जो मुख्य मंत्री का पत्र था, शायद माननीय सदस्य ने ठीक से नहीं सुना। मुख्य मंत्री ने कहा था—

Prior to the partition of the country, the representation in the armed forces from Punjab was more than 25 per cent.

प्रारंभ टू पार्टीशन नम्बर एक। इसलिए वह पंजाब और आज के पंजाब की रिक्रूटमेंट की तुलना करना ठीक नहीं होगा। नम्बर दो, उस समय के पंजाब में आज का हरियाणा भी था। हिमाचल भी था...(व्यवधान) वह तो है ही पार्टीशन का शब्द पहले आया है क्योंकि यह सब मिलाकर था। इसलिए यह सोचना कि पंजाब की किसी प्रकार की हानि हो गयी यह बात गलत है, नम्बर दो, आपने जो बात कही है कि मेरिट के आधार पर नहीं मिलता, वह सही नहीं है। जो भी, जहाँ से भी आता है वह मेरिट पर ही आता है, और किसी तरह से नहीं आता है। लेकिन यह नयी नीति आने पर...(व्यवधान) इतनी तो सफाई होनी बहुत जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी इन चीजों में न रहे और पंजाब के लोगों के मन में इस प्रकार का कोई भी भाव न रहे कि उनके साथ कहीं भी किसी तरह से अन्याय हो रहा है। यह उनके मन में बात नहीं रहनी चाहिए। तो मैं यह बता रहा था कि अलग-अलग प्रदेशों में जो नयी नीति लागू हो गयी वह नीति लागू हुई 1992-73 में। 1992-73 में वह नीति लागू होने के पहले 1968-69 का मेरे पास एक आंकड़ा है। 1969-70, 1970-71, 1972-73 के भी मेरे पास आंकड़े हैं। वे 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के रहे हैं। तीन साल 11 प्रतिशत रहा और एक साल 12 प्रतिशत रहा है। 1984-85 में 12.5 प्रतिशत रहा, 1989-90 में 13.8 प्रतिशत रहा और 1988-89 में 14.5 प्रतिशत रहा। तो इसलिए किसी भी प्रकार की डिसक्रिमिनेशन वाली बात अथवा मेरिट के बारे में न सोचने वाली बात हो ही नहीं सकती है क्योंकि सेना में मेरिट के बगैर किसी को भर्ती करना संभव ही नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमान, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछूँगा। यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि इससे संघ शासित क्षेत्रों, राज्यों और जिनको हम क्षेत्रीय अपेक्षाएं कह सकते हैं—जैसा कि मंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया है—उन अपेक्षाओं की तो पूर्ति हुई है। लेकिन श्रीमान जैसा कि मंत्री जी स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत

विषमताएं हैं और भर्ती के जरिए इन विषमताओं को कुछ कम करने के लिए क्या मंत्री जी कुछ प्रयास करेंगे?

श्री जार्ज फर्नांडीज: कहां सामाजिक विषय और कहां यह मेरिट के ऊपर सेना में भर्ती। इनका मेल जोड़ना यह मैं नहीं समझता सभापति जी कि उचित है...(व्यवधान)

श्री रमा शंकर कौशिक: मेरिट तो रखिए। मेरिट तो रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरिट के बावजूद भी वैसी स्थितियां नहीं होतीं यह स्वीकार कीजिए। मेरिट के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। मेरिट तो आप रखें लेकिन जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक उसको सोच लीजिए कि मेरिट होते हुए भी वे स्थितियां पैदा नहीं होती हैं। इसके लिए अगर कुछ आप रख देंगे तो वैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी।

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति जी, मेरी खयं यह था कि अभी तक सेना में जिस प्रकार का भर्ती का नियम रहा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव ठीक नहीं है।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, the matter which has been raised by the hon. Member was also raised, rather a decision was taken, in the Rajiv-Longowal Accord. The Rajiv-Longowal Accord was approved by both the Houses. In the Accord, Punjab was assured that a similar policy would be introduced and implemented in the recruitment in Navy, Army and Air Force. I do not want to criticise this but during the last four months, this Government has been rejecting one by one the demands of Akali Dal with regard to Punjab. Earlier, Chandigarh...(Interruption)... That was also rejected by the Home Minister.

MR. CHAIRMAN: No, no (Interruption) Confine yourself only to the Question.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: I am not in the habit of taking things outside the purview, Sir. This demand...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: He also was part of the Government for two years.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: This demand was accepted by both the Houses, as per the Rajiv-Longowal Accord. This is number one. Number two, I want to know as to why this Government is not considering the commitments made in the Rajiv-Longowal Accord. Also, I want to know whether the Chief Minister has referred to the Rajiv-Longowal Accord in his letter to the Defence Minister or not.

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: सभापति जी, हमें हमारे मंत्रालय में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राजीव-लॉंगोवाल एकार्ड में क्या-क्या लिखा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्य मंत्री की शिकायत थी कि दो प्रतिशत पर आज है। मैंने यहां पर सिद्ध कर दिया कि वह औसतन 8-9-10 के आस-पास है। इसलिए शिकायत की बात के लिए कोई गुंजायश नहीं है। मैं माननीय सदस्य से इतना ही कहूंगा कि हमने जीवन भर जब भी इस प्रकार के मामले आए या कोई पंजाब के मामले आए हैं उसमें हमेशा हम पंजाब के साथ रहे हैं।

SHRI ASHOK MITRA: Sir, perhaps, there is a bit of contradiction in what the hon. Minister has just said. Or, he cannot claim that recruitment is in proportion to population of the States when at the same time, it is recorded that some States are under-represented. Obviously, some of the States have not been able to supply recruits because they must have failed in some of the tests that have been ascribed. I will make a very modest point that with an increasing machanisation of most of the defence forces, perhaps, some of the attributes that are insisted upon for recruitment deserve to be reviewed. I say this because of the situation that is appearing in some of the North-Eastern States from where the recruitment is very short. The hon. Defence Minister himself represents one of the Eastern States. There is a huge pool of unemployment in these States. I will plead with the hon. Minister to let us know whether there is any scope of increasing the proportion of recruitment from each of the Eastern States, including Bihar.

SHRI GEORGE FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, while I agree that with mechanisation and so on and so forth qualifications for recruitment are bound to change and these factors do affect, yet, looking at the social and educational situation or backwardness of certain States, special concessions are made. Sir, special concessions are made in terms of height or weight or educational qualifications or whatever other attributes are needed and care has been taken to see that ultimately the person who gets is capable of performing the duties which he is expected to perform. While I agree with the hon. Member that lack of some of these attributes or failure in some of the tests is one reason why some States are under-represented, there are some other States which are under-represented because there are better opportunities of employment. Where there is high level of industrialisation, one finds that people of those particular areas are not inclined to join the army or in any of the armed forces. We have these problems and we are making special efforts at recruitment stage; both at the level of officers and at other levels in recent times. There is no shortage in so far as manpower at the lower level, in other words, at the level of jawan is concerned. But, at the level of officers, there has been a shortfall and one of the reasons is, there are other opportunities which are better opportunities in monetary terms and in other terms. Therefore, it is rather a complex question. The hon. Member has specially mentioned about North-East and the Eastern States. In the North-East, it is true that because of the prevailing conditions of insurgency and so on, there has not been adequate representation in the forces. That is why, when I visited the North-East in April last, I made a public statement in every State that we will encourage young people to join the army and special efforts are currently being made in that region. In so far as Bihar or West Bengal is concerned, if there is any under-representation, we will make all-out efforts to see that we hold rallies and persuade people to join the forces.

श्री लक्ष्मण सिंह: चैयरमेन साहब, आजादी से पहले हिंदुस्तान की फौज का सिका सारी दुनिया में जमा हुआ था और सारे डरते थे।

श्री संघ प्रिय गौतम: आज भी डरते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह: मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। I do not interfere in anybody's speech. अभी मंत्री जी ने कहा कि भर्ती आबादी के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया और यू०पी० बिहार जिन्होंने नहीं किया तो क्या उन को यह सजा है? यहाँ भी रिजर्वेशन की बात आ गयी है? मैं अर्ज करना चाहूँगा मंत्री जी से कि फौज देश की रक्षा करती है और सभी कुछ फौज के ऊपर दायरेदार है। आप की बॉर्डर पर चारों तरफ एनेमीज बैठे हैं। इतना अंधकार मचा हुआ है और चारों तरफ मिलिटरी है। तो क्या आप यह गौर करना चाहेंगे कि बजाय आबादी के लिहाज से मेरिट के हिसाब से भर्ती हो? कम-से-कम फ्रैंज को तो बख्श दीजिए इस रिजर्वेशन से। यहाँ तो ऐसा काम न कीजिए आप वरना यह जो आप का बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है और हिंदुस्तान की आबादी वन थाउजेंड मिलियन हो चुकी है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? इसी तरह से जब भी एसम्बलीज और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात आएगी तो आप आबादी को लेकर बैठ जाएँगे जिस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल स्टेट्स तो मारे जाएँगे जोकि आबादी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आप इस आबादी के नॉर्म को बदलिए जोकि गलत नॉर्म है। यह कोई इलेक्शन हो रहा है? आप की आबादी तो आप को खाए जा रही है और इसी कारण आप के 50 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं आप चाइना को देखिए, वहाँ जोरो परसेंट पापुलेशन हो चुकी है। तो क्या मंत्री जी हाउस को यह यकीन दिलाएँगे कि आबादी का नॉर्म छोड़कर भर्ती प्योरली मेरिट पर आ जाए? फिर उस में जो ताकतवर होगा, वह हो जाएगा। चैयरमेन साहब, यही सवाल मैं मंत्री जी से आप के माध्यम से पूछना चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरिट के बगैर भर्ती होती ही नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह: अभी तो आप ने कहा कि पापुलेशन के बेसिस पर है।

श्री सभापति: आप ने सुनी नहीं, जो बात कही उन्होंने।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अब रहा सवाल कि किसी के साथ क्या अन्याय हो रहा है विशेषकर पंजाब के संदर्भ

में क्योंकि माननीय सदस्य का लक्ष्य मुझे वही नजर आया। ... (व्यवधान) ...

सभापति जी, हम नहीं चाहते थे कि यह बहस इस तरह से चले क्योंकि यह ठीक नहीं है। हम देश की सेना की समस्याओं की चर्चा करते हैं तो वह एक प्रदेश की नहीं होती, समूचे देश में वही समस्याएं हैं, कहीं कुछ होती है और कहीं कुछ होती है। सभापति जी, मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूँगा। केवल एक ही उदाहरण दूँगा। जहाँ तक रेशियो आफ पापुलेशन की बात है, पंजाब का मैं बताया 2.4 और उत्तर प्रदेश का 16 आता है। आज जिस रेशियो पर पंजाब में भर्ती हो रही है, उसी रेशियो को अगर उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहेंगे तो मैं एक साल का उदाहरण देता हूँ। जो मैंने अभी आंकड़े षडे थे, उत्तर प्रदेश एक नंबर पर और पंजाब दो नंबर पर है और अगर मैं उस आधार पर चलूँ तो उत्तर प्रदेश में उस साल जो भर्ती हुई थी, और उसमें और अधिक लगभग 20 हजार की भर्ती होनी चाहिए थी। जो आप ने शिकायत की है ... (व्यवधान) ... उस शिकायत के आधार पर कोई करने नहीं जा रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण सिंह: यह ताकत का मामला है, उस में तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को ही मिलेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस सवाल को हम प्रदेश-प्रदेश के मामले के तौर पर न देखें। मेरिट के बगैर सेना में कोई नहीं जाएगा और जिन प्रदेशों में और भी कोई संभावनाएं हैं तो उन संभावनाओं को हम पूरा करते रहेंगे।

श्री सभापति: क्युश्चन नंबर 403.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: सर, एक क्युश्चन। जो असल क्युश्चन था वह तो किसी ने उठाया ही नहीं।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं। आधा घंटा हो गया इस सवाल पर। क्युश्चन नंबर 403.

Representation to Minorities in Para-Military and Police Forces

*403. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are committed to provide adequate representation to minorities in para-military and police forces;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard during last three years; and